रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1663] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 16, 2013/आषाढ़ 25, 1935
No. 1663] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 16, 2013/ASADHA 25, 1935

indiacode

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2013

का.आ. 2168(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम संदर्भित किया गया है की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 910 (अ), तारीख 21-04-2010 द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 59 के इंदौर-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा सेक्शन के 6.000 किमी. से 171.00 किमी. तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''प्राधिकरण'' कहा गया है) को सौंपा है:,

और यत:, प्राधिकरण ने, उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, दिनांक 25-11-2009 को प्रस्तुत की गयी बोली हेतु मैसर्स आई वी आर सी एल इंदौर गुजरात टोलवे लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय एम 22/3 आर टी, विजय नगर कॉलोनी, हैदराबाद-500057, भारत में है (जिसे इसमें इसके बाद ''रियायतग्राही'' संदर्भित किया गया है) के साथ डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-59 पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''उक्त खण्ड'' संदर्भित किया गया है) 9.500 किमी. से 171.000 किमी. तक इंदौर-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा सेक्शन को चार लेन के स्तर में विकास करने और उक्त खण्ड के प्रचालन तथा अनुरक्षण हेतु 22-02-2010 को करार किया था (जिसे इसमें इसके पश्चात् '''उक्त करार'' संदर्भित किया गया है);

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008, जिसे सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5-12-2008, द्वारा प्रकाशित किया गया था और बोली प्रस्तुत करने की तारीख तक इसमें आगे और संशोधन किये गये थे (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''नियम'' संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निमार्ण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूँजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दबाव तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 113.230 कि.मी. के लिए उक्त खण्ड के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों पर चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग हेतु, सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''आधार दर'' संदर्भित किया गया है) तथा नीचे सारणी 1 और 2 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर 5 बाइपासों, जिनकी कुल लम्बाई 41.770 किमी. है, के लिए सारणी 2 में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से तथा प्राधिकरण से समापन प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम समापन प्रमाणपत्र, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त करने पर या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन से, जो भी बाद में हो, करार में विनिर्दिष्ट समाप्ति की तारीख तक, जैसा कि करार में विनिर्दिष्ट किया गया है, उक्त शुल्क को संग्रहीत और प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है;

सारणी-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भ.सं.म.) या अर्थ मूंविग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (तीन से छह धुरी वाले) बड़े आकार वाले (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

सारणी-2

बाइपासों की लागत (करोड़ रुपये में)	कार, जीप, वैन, अथवा हल्के मोटर वाहन	हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन या मिनी बस	ट्रक या बस	एचसीएम, इएमड़ या एमएवी	बड़े आकार वाले वाहन
10 से 15	5	7.50	15	22	30
पंद्रह करोड़ रुपए से अधिक और एक सौ करोड़ रुपए तक, प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए	1	1.50	3	4.50	6
एक सौ करोड़ रुपए से अधिक और दो सौ करोड़ रुपए तक, प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए	0.75	1.15	2.25	3.40	4.50

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाज पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी.में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
इंदौर जिले में मेटवाडा गांव के पास 34.450 किमी पर	56.680
धार जिले में दत्तीगांव जुनापानी गांव के पास 118.650 किमी. पर	56.550

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपासों के उपयोग के लिए, ऊपर सारणी-2 में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा :

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	बाइपासों की लंबाई (कि.मी. में) और लागत (करोड़ रुपए में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		
	नाम	लम्बाई	लागत
इंदौर जिले में मेटवाडा गांव के पास 34.450 किमी. पर	घाट्टाबिलोड और लाबेड	7.20	78.90
	धार और थिरला	13.62	73.40
धार जिले में दत्तीगांव जुनापानी गांव के पास 118.650 किमी. पर	सरदारपुर राजगढ़	7.71	75.80
	माचलिया घाट	4.19	142.90
	झाबुआ	9.05	71.70

IndiaCode

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन और गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2013-14 के लिए मासिक पास की दर 215.00 रुपए (दो सौ पंद्रह रुपए मात्र)होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर प्रदान किया जायेगा, अर्थात्:

संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे, उन्हें उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए ।

6. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्त्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

8. ऊपर सारणी-1 तथा 2 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दरों के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना राजमार्ग परियोजना की लम्बाई के पूरे कर लिये गये भाग के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी । उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और तत्पश्चात् उक्त नियमों के नियम 5 और रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार, इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा, परन्तु शर्त यह है कि शुल्क में पिछली बार किये गये संशोधन की तारीख से छः महीने की अवधि में कोई संशोधन नहीं किया जायेगा ।

[फा.सं. भाराराप्रा/13013/649/सीओ/11-12/जीसी-इंदौर-गुजरात-बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2013

S.O. 2168(E).—Whereas the Central Government vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 910 (E), dated 21-04-2010, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), hereinafter referred to as said Act, entrusted the stretch from Km. 6.000 to Km. 171.00 of Indore-Gujarat/Madhya Pradesh border section of National Highway No. 59 in the State of Madhya Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, pursuant to the powers conferred by section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement 22-02-2010 (hereinafter referred to as said agreement) with M/s IVRCL Indore Gujarat Tollways Ltd., having its registered office M-22/3RT, Vijaya Nagar Colony, Hyderabad-500057, India (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for the bid submitted on 25-11-2009 for the development of Indore-Gujarat/MP border section from km 9.500 to km 171.000 on National Highway No. 59 (hereinafter referred to as the "said section") to four lane standards and operation and maintenance of the said section on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide GSR 838 (E) dated 05-12-2008 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length of 113.230 Km for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at the base rates specified in the Table No. 2 for 5 numbers of Bypasses having an aggregate length of 41.770 Km. on the Type of Vehicles specified in Table 1 and

2 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of Commercial Operation (COD) declared by the Authority and on getting the Completion Certificate or the Provisional Certificate, as the case may be, from the Authority or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement.;

Table 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08(in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck	2.20
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Table 2

Cost of Bypasses (Rupees in Crore)	Car, Jeep, Van or Light sized Vehicle	Light Commercial VehicleLight Goods	Truck or Bus Motor Vehicle	HCM,EME Vehicle or Mini Bus	Over- or MAV
10 to 15	5	7.50	15	22	30
For the additional Rupees five Crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen Crore and up to Rupees one hundred Crore.	1	1.50	3	4.50	6
For every additional Rupees Five Crore or part thereof, exceeding Rupees one hundred Crore and upto Rupees two hundred Crore.	0.75	1.15	2.25	3.40	4.50

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
At Km. 34.450 near village Metwada in Dist. Indore	56.680
At Km. 118.650 near village Dattigaon Junapani in dist. Dhar.	56.550

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following Bypasses at the base rates specified in Table-2 above at the following Toll Plaza(s):

IndiaCode

Location of Toll Plaza(s) (chainge)	Length (in km) and Cost of bypasses (in Rupees Crore) for which additional fee is payable		
	Name	Length	Cost
At Km. 34.450 near village Metwada in Dist. Indore	Ghattabilod and Labed	7.20	78.90
	Dhar & Thirla	13.62	73.40
At Km. 118.650 near village Dattigaon Junapani in Dist. Dhar	Sardarpur Rajgarh	7.71	75.80
	Machaliya Ghat	4.19	142.90
	Jhabua	9.05	71.70

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 215.00 (Rupees Two Hundred and Fifteen only) for the year 2013-14, which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment of the fee for
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

IndiaCode

5. Mechanical vehicles which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

8. Based on the Base rate of fee per km. for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 & 2, the actual amount of fee to be charged from mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed portion of the length of the Project Highway. The same shall be got published by the Authority through the Concessionaire in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and provisions of the Concession Agreement provided that no revision shall be effected within a period of six months from the date of the preceding revision of fee.

[F.No. NHAI/13013/649/CO/11-12/GC-Indore-Gujarat-BOT]
ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.